



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 07 जनवरी, 2026 ई०

पौष 17, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

संख्या- 3498/रा०नि०आ०-3/1260/2023(1)

देहरादून, 07 जनवरी, 2026

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख-में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा :-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क) निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण कराने एवं दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु मतदान स्थलवार कार्मिकों की तैनाती करना।	12.01.2026 से 13.01.2026 तक	02 दिन
(ख)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन।	14.01.2026	—
(ग)- दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करना।	15.01.2026 से 21.01.2026 तक	07 दिन
(घ)-प्राप्त दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण।	22.01.2026 से 25.01.2026 तक	04 दिन
(ङ)-पूरक सूचियों की पाण्डुलिपि तैयार करना।	27.01.2026 से 28.01.2026 तक	02 दिन
(च)-पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट करना।	29.01.2026 से 02.02.2026 तक	05 दिन
(छ)- निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	03.02.2026	—

2. तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नागर निकाय), टिहरी गढ़वाल एवं ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने जिले की संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश-पुस्तिका के अध्याय-3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय-वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।
3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2026 निर्धारित करते हुए नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।